रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247728
CG-DL-E-31072023-247728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945
No. 448] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(सक्षम प्राधिकारी सेल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 2023 की 03

सा.का.नि. 570(अ).—केन्द्र सरकार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68घ की उप-धारा (1) और धारा 68छ के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का संख्यांक 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 13 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 01 सा.का.नि, 85, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोप किए जाने वाले कार्यों के अलावा, उपर्युक्त दो अधिनियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी और प्रशासकों को निम्नलिखित अधिकारिता आवंटित करती है:-

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक का नाम	अधिकारिता
1.	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, कोलकाता	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्य तथा

		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
2.	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य तथा पुद्दुचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
3.	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र
4.	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, मुंबई	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र

टिप्पण : सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासकों की अधिकारिता का क्षेत्र निरुद्ध किए गए व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसके खिलाफ निरुद्ध किए जाने का आदेश जारी किया गया है या उस व्यक्ति जिस पर संबंधित अधिनियमों के तहत आरोप लगाया गया है, के पते या निवास स्थान के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक पते या निवास स्थान हैं, तो उस सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक की अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता में प्रायोजक या जांच एजेंसी स्थित है। ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनका भारत में कोई पता या निवास स्थान नहीं है, तो उस सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक की अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में उस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है या उस पर आरोप लगाया गया है। स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत पांच साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के समान अपराध के लिए भारत के बाहर आपराधिक अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति के संबंध में, उस सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक की अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति अवस्थित है या जिस सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक को केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है।

[फा. सं. ए-50050/76/2023-सीए सेल]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(COMPETENT AUTHORITY CELL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 03 of 2023

G.S.R. 570(E).—In exercise of the power conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of property) Act, 1976 (13 of 1976) read with sub-section (1) of section 68D and section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985 (61 of 1985) and in supersession of the notification number 01 G.S.R, 85 (E), dated the 13th February, 2008, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government is pleased to allocate the following areas of jurisdiction among the Competent Authority & Administrators for the purpose of the said two Acts:-

Sl. No.	Name of the Competent Authority & Administrator	Jurisdiction
1.	Competent Authority & Administrator, Kolkata	States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal, Bihar, Jharkhand and Union Territory of Andaman & Nicobar Islands

2.	Competent Authority & Administrator, Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and Union Territories of Puducherry and Lakshadweep
3.	Competent Authority & Administrator, Delhi	States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territories of Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh
4.	Competent Authority & Administrator, Mumbai	States of Gujarat, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

Note : The area of jurisdiction of the Competent Authority & Administrators shall be on the basis of the address or residence of the detenue of the person against whom detention order has been issued or the person who has been charged under the relevant Acts. If there is more than one address or place of residence, the Competent Authority & Administrator in whose jurisdiction the sponsoring or investigation agency is located, shall have the jurisdiction. In case of persons who do not have any address or place of residence in India, the Competent Authority & Administrator in whose area of jurisdiction the person is detained or charged, shall have the jurisdiction. In respect of a person convicted by a competent court of criminal jurisdiction outside India for an offence similar to an offence punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 with imprisonment for a term of five years or more, the Competent Authority & Administrator who shall have jurisdiction shall be the competent authority in whose area of jurisdiction the illegally acquired property is located or the Competent Authority & Administrator, who has been authorized by the Central Government by an order.

[F. No. A-50050/76/2023-CA Cell]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Hq.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.